झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग राँची ।

पुनरीक्षितवाद/ अपीलवाद संख्या....11.......... वर्ष 20.24...

विविधवाद/ प्रथम अपील

अपीलकर्त्ता श्रीमती सबिता देवी एवं अन्य
ग्राम-रोको, पंचायत-बिजका
थाना-भण्डरिया, जिला-गढ़वा

वाद प्रारंभ की तिथि
दि०.30.04.2024.

बनाम

प्रतिवादी जिला आपूर्ति पदाधिकारी,
गढ़वा

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति

वाद सं0–11/2024

अपीलकर्ता श्रीमती सबिता देवी एवं अन्य का अपील आवेदन आयोग को प्राप्त हुआ है। अपीलकर्तागण द्वारा पूर्व में व्हाटसएप्प के माध्यम से दिनांक–18.03.2024 को समर्पित शिकायत सं0–WA/376/2024 के मामले में सूचित किया गया है कि इस पर अब तक कार्रवाई नहीं की गई है। साथ ही कार्रवाई हेतु अनुरोध किया गया है।

उल्लेखनीय है कि शिकायतकर्ता श्रीमती सबिता देवी, ग्राम–रोदो, पंचायत–बिजका, थाना–भण्डरिया, जिला–गढ़वा द्वारा दिनांक–18.03.2024 को वाट्सएप्प के माध्यम से समर्पित परिवाद–पत्र में ग्राम–रोदो के 48 सदस्यों को 04 माह से राशन नहीं दिये जाने एवं आवेदन देने के बाद भी इस पर कार्रवाई नहीं होने के आरोप से सम्बन्धित परिवाद–पत्र आयोग के समक्ष समर्पित किया गया था, जिसे आयोग के पत्रांक–WA/376/2024 दिनांक–19.03.2024 द्वारा अपर समाहर्ता–सह–जिला शिकयत निवारण पदाधिकारी, गढ़वा एवं इसकी प्रति DSO, गढ़वा को प्रेषित की गई थी। उक्त मामले में कृत कार्रवाई प्रतिवेदन आयोग को अप्राप्त रहा।

अतः प्राप्त अपील आवेदन के आलोक में प्रस्तुत मामले को गंभीरता से लेते हुए इस पर आयोग स्तर पर सुनवाई करने का निर्णय लिया जाता है। उक्त मामले में जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गढ़वा को प्रतिवादी बनाया जाए। सुनवाई की तिथि दिनांक–11.06.2024 को निर्धारित की जाती है।

प्राप्त अपील आवेदन की प्रति प्रतिवादी को भेजते हुए उक्त सुनवाई में आयोग कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने एवं सुनवाई के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपीलकर्ता को उपस्थित रहने हेतु नोटिस निर्गत करें।

दिनांक–11.06.2024 को अपराह्न 12.00 बजे रखें।

(शबनम परवीन)
सदस्य,
राज्य खाद्य आयोग, राँची।

(हिमांशु शेखर चौधरी)
अध्यक्ष,
राज्य खाद्य आयोग, राँची।

E:\Ziyaul\Vinod Sir\Court order, notice & court note\Court note.docx70

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति
	वाद सं0–11 / 2024	
11.06.2024	अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष अपीलकर्त्ता श्रीमती सबिता देवी एवं अन्य ग्राम–रोदो, पंचायत–बिजका, थाना–भण्डरिया, जिला–गढ़वा Video Conference के माध्यम से उपस्थित। द्वितीय पक्ष की ओर से जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गढ़वा अनुपस्थित। सुनवाई में जिला आपूर्ति पदाधिकारी अनुपस्थित हैं और उनका पक्ष भी आयोग के अभिलेख में मौजूद नहीं है। गौरतलब है कि आयोग ने जिला आपूर्ति पदाधिकारी को पत्रांक–428 दिनांक–07.05.2024 के माध्यम से शिकायतकर्त्ता द्वारा दर्ज की गई शिकायतों के निदान करने का निर्देश दिया था। आयोग जिला आपूर्ति पदाधिकारी को निर्देश देता है कि आयोग के पत्रांक–428 दिनांक–07.05.2024 के निर्देश का अनुपालन करना सुनिश्चित करे और जिन लाभुकों को कम अनाज उपलब्ध कराया गया है उन्हें कटौती की गई अनाज उपलब्ध कराते हुए, ऐसा कर दिये जाने का प्रमाण आयोग को अगली सुनवाई में प्रस्तुत करें। मामले की अगली सुनवाई दिनांक–27.06.2024 को निर्धारित की जाती है। आदेश की प्रति उभयपक्ष को भेजें। दिनांक–27.06.2024 को रखें। **(शबनम परवीन)** सदस्य, राज्य खाद्य आयोग, राँची। **(हिमांशु शेखर चौधरी)** अध्यक्ष, राज्य खाद्य आयोग, राँची।	

पता–झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड के पुराने भवन का द्वितीय तल, हरमू हाउसिंग कॉलोनी, राँची–834002
email-jharfoodcommission@gmail.com, Ph No.-0651-2252267

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति
27.06.2024	**वाद संख्या–11 / 2024** अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष की ओर से परिवादी श्रीमती सविता देवी एवं अन्य, ग्राम–रोदो, पंचायत–बिजका, थाना–भण्डरिया, जिला–गढ़वा दूरभाष के माध्यम से उपस्थित। द्वितीय पक्ष की ओर से जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गढ़वा आयोग कार्यालय में उपस्थित। इस वाद में जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गढ़वा ने पत्रांक–663 दिनांक–26.06.2024 के माध्यम से आयोग को अवगत कराया है कि आयोग के निर्देश के बाद कुल–48 शिकायतकर्ताओं में से 30 लाभुकों को माह फरवरी, 2024 से माह मई, 2024 तक कुल–04 माह का ऑफलाईन एवं माह जून, 2024 का ऑनलाईन खाद्यान्न उपलब्ध करा दिया है। शेष 18 लाभुक के संदर्भ में जानकारी दी गई है कि वे नियमित रूप से खाद्यान्न का उठाव कर रहे हैं। इस बीच शिकायतकर्ता ने अपने मूल आवेदन से हट कर एक नया आवेदन इसी वाद में आयोग को भेजा है, जिसमें पिछले अक्टूबर से जनवरी तक राशन की कटौती करने की बात लिखी गई है। आयोग सदस्य सचिव, राज्य खाद्य आयोग को निर्देश देता है कि शिकायतकर्ता के दूसरे आवेदन पर नया वाद प्रारंभ किया जाए। चूँकि शिकायतकर्ताओं के मूल आवेदन का निराकरण कर दिया गया है। अतः आयोग इस वाद को निष्पादित करता है। आदेश की प्रति उभयपक्ष को भेजें। **(शबनम परवीन)** सदस्य, राज्य खाद्य आयोग, राँची। **(हिमांशु शेखर चौधरी)** अध्यक्ष, राज्य खाद्य आयोग, राँची। E:\Ziyauf\Vinod Sir\Court order, notice & court note\Commission order.docx182	